factors which make this Territorial Army a second line of defence in the real sense of the term.

Dr. Katju: Territorial Army is not suffering from any defects in point of training or any other thing. They are well-trained and well looked after and they have got no complaint on that score. With profound respect for my hon. friend, I do not really understand what is the Bill which he wants us to bring about.

So fas as propaganda and provision is concerned, it is great and the response is growing so far as numbers are concerned. That is a matter as to how many are required, and hon. members are aware that there are financial limitations also.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

FARIDABAD DEVELOPMENT CORPORATION BILL

The Deputy Minister of Rehabilitation (Shri J. K. Bhonsle): Mr. Deputy-Speaker, I beg to move:*

"That the Bill to provide for establishment and regulation of a trading Corporation for the purpose of carrying on and promoting trade and industry in the town of Faridabad, assisting in the rehabilitation of displaced persons settled therein and for matters connected therewith be taken into consideration."

In 1948, a relief camp was set up in Faridabad, 17 miles south of Delhi, to provide temporary shelter to the displaced persons from the North-West Frontier. In February 1949, it was decided to convert this relief camp into a township to house the displaced persons from Dera Ghazi Khan and the North-West Frontier. In May 1949, the Rehabilitation Committee of the Cabinet decided that the relief camp as well as the new township be placed under the control and full charge of an autonomous board directly under the Government of India, working through the Ministry of Rehabilitation. Dr. Rajendra Prasad was appointed the first Chairman of this Board with a representative each from the Ministries of Rehabilitation and Finance, the Government of Punjab and UCRW. Soon after the setting up of this body, the Punjab Government withdrew its representative and in 1950, Dr. Kunzru succeeded Dr. Rajendra Prasad on the latter's election as the President of India. By 1953, it did not seem to function so well and the Ministry of Rehabilitation took full control of the management of the Township. However, in January 1955, a new board was set up with the Secretary Ministry of Rehabilitation as Chairman and a Deputy Secretary of the Rehabilitation Ministry and a Deputy Secretary of the Finance Ministry, the Administrator, Faridabad Development Board, Shrimati Sucheta Kripalani and Shrimati Arayanayakam as members. It has all along been an *ad hoc* body. It had no legal status. It could neither sue nor be sued. It could not execute any agreement with any outside body. Besides, its employees could not be considered as public servants. So, it was decided to set up an autonomous board. Since, Faridabad came under the jurisdiction of the Punjab, it was decided that legislation be passed through that State. The Ministry of Law therefore, worked out an ordinance and it was forwarded to the State Government. It was to the effect that the board to be set up would have municipal, development and rehabilitation functions. It was to consist of seven members—six to be nominated by the Government of India and one, by the Punjab Government. Its jurisdiction was to include Faridabad and

*Moved with the recommendation of the President.

[Shri J. K. Bhonsle]

twenty villages round about. This was sent to the Government of Punjab in 1950 but they did not seem to work on it and in February 1952, they sent us a Bill to be enacted as President's Act.

13-55 hrs.

[SHRI BARMAN *in the Chair*]

This was very carefully examined by the Ministries of Home Affairs, Law and Rehabilitation and it was found to be rather lengthy. They felt that a simpler measure might be adopted. At about that time the Punjab Legislative Assembly was formed and it was felt that the Bill, instead of being enacted as the President's Act, might be passed by the Punjab Legislature. So, it was returned to that Government. Till 1953, they took no action on that Bill and by that time things had changed to a great extent and the twenty villages which were to be under the jurisdiction of this board came under the community projects. It was then thought necessary to draft a new Bill which would have control and jurisdiction over the urban part of Faridabad township and accordingly, another Bill was prepared by the Ministry of Law and forwarded to the Government of Punjab. It so happened that by this time the Government of India had invested roughly about four crores and they were required to invest more money in order to develop the economy of the township. So, they wanted full control over the management of the affairs of this board. But the Government of Punjab thought that since the Board would have municipal functions it would not be possible to pass its control to the Government of India and if any such enactment was passed, it would be, they thought, *ultra vires* of the Constitution. At that time the Government of India thought that the time was not ripe to pass the township on to the Government of Punjab. The Government of India wanted to develop the economy of the township and as the question of rehabilitation was getting the particular attention of the Government of India, it was thought that it would not be possible for them to pass on the responsibility to the State Government. Accordingly, it was decided to set up a corporation having trading, development and rehabilitation functions through Central legislation.

I may as well give a short history of the township to the House. In 1948, the Rehabilitation Committee of the Cabinet decided that the township should have forty thousand displaced persons. About 21,000 persons were sent there temporarily and later on, another five thousand aged, old and infirm were housed in the colony. But, since the gratuitous relief was stopped, a few of them left the place and now there are 23,000 displaced persons. The township is divided into five areas called neighbourhoods or sectors.

14.00 hrs.

The Board has constructed 5,158 houses, 138 shops and 150 Nissen huts. These Nissen huts are, as a matter of fact, used by the administrative staff as well as the administrative offices and for some of the industrialists. It has a 150-bed hospital and a new T.B. wing has just been attached. It has its own water-supply coming from tube-wells and a 6000 kw. electric plant.

So far as the question of employment goes, it has been rather difficult as Faridabad is situated far away from Delhi. This question has been engaging the attention of the Government of India for the last eight years. To start with, the displaced persons were given employment on the construction works that were going on in Faridabad itself. We had, at the same time, started a technical institute with several components such as diesel engine factory, press metal shop, button factory, textile factory, carpentry section etc. The Indian Co-operative Union also helped in trying to establish co-

operatives and the institution was advanced a sum of Rs. 24 lakhs. But, unfortunately, since the displaced persons were mostly untrained the result was that the technical institutes about which I have just mentioned as well as the co-operative did not have much success.

It was, therefore, necessary for the Government of India to make arrangements to provide employment for displaced persons of the township, they arranged for the employment of 1500 displaced persons in the construction works at Delhi. Since a lot of construction works were going on round about Delhi, the contractors etc. were given contracts of buildings in and near Delhi through the Board. *The Government of India also decid*ed that in order to transport these *1500 displaced persons from Farida*bad to Delhi a subsidy might be given to them which works out to roughly about Rs. 5½ lakhs a year.

Besides these, a number of industries have been set up. Upto date it is estimated that 23 schemes have been sanctioned at a cost of about Rs. 70 lakhs which will provide employment to 2300 displaced persons. Of these ten industries functioning at the moment, which are giving employment to about 1100 displaced persons.

Now about the question of finance. The Faridabad Development Board was given an *ad hoc* grant of Rs. 60 lakhs in 1949. It was then considered that this amount was not quite sufficient for the Board to carry on its work and in 1951 the provision was increased and Rs. 254·9 lakhs were advanced. In 1953 the capital project was revised to Rs. 345·9 lakhs. It is hoped that the project will be completed within the next three or four years with a further provision of 70/80 lakhs for provision of gainful employment etc. to the displaced persons of this township.

Sir, I commend the Bill to the House.

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill to provide for establishment and regulation of a trading Corporation for the purpose of carrying on and promoting trade and industry in the town of Faridabad, assisting in the rehabilitation of displaced persons settled therein and for matters connected therewith be taken into consideration."

लाला अचिन्त राम (हिसार) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। स्वागत इस वास्ते करता हूं कि जो हमारी लगातार आवाज उठती रही कि वैस्ट पाकिस्तान से जो डिस्प्लेस्ड पर्संन्स (विस्थापित *व्यक्ति) आये हैं, उन का रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) मुकम्मिल नहीं हुआ, वह आवाज* बहुत देर तक तो नहीं सुनी गई, लेकिन मुझे खुशी है कि इस वक्त जो मिनिस्टर साहब हैं उन्हों ने उस को सुना और कभी ऐसा कहने की गलती नहीं की कि रिहैबिलिटेशन मुकम्मिल हो गया। यह जो बिल आया है, वह एक किस्म का सुबूत है कि वाकई अभी रिहैबिलिटेशन मुकम्मिल नहीं हुआ और उस को मुकम्मिल करने को कोशिश की जा रही है। और यह कारपोरेशन की तजवीज़ सामने आई है।

जैसा कहा गया इस जगह की आबादी करीब २३,००० के है, यानी करीब ४,००० फैमिलीज (परिवार) हैं। आप देखेंगे कि कितने ही आदमी लाखों की तादाद में वैस्ट पाकिस्तान से आये हुए हैं, जिन की प्राब्लेम (समस्या) अभी बड़ी गहरी हैं। कितना रुपया उन के ऊपर अभी तक खर्च किया गया है, और उन के लिये कितनी मेहनत की गई, डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे दिमाग वाले, श्री कुंजरू जैसे दिमाग वाले, आदमियों ने कोशिश की, यहां कमेटियां बनीं, लेकिन प्राब्लेम हल नहीं हुई। आखिरकार, एक कमेटी बदली, दूसरी बदली, तीसरी बदली, लेकिन प्राब्लेम वैसी ही बनी रही। आज हालत यह है कि वहां पर पठान लोग टोकरियां

[लाला अचिंत राम]

उठाते हैं। काम करना कोई शर्म की बात नहीं है, टोकरियां उठाना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन की हालत बेहतर नहीं हो सकी है। नौ वर्ष हो गये और उन की प्राब्लम वहीं की वहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो कुछ हो रहा है, यह खुशी की बात है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस तरीके से अब इरादा कर के कारपोरेशन की तरफ कदम ठाया गया है उस में सोच समझ कर रुपया खर्च किया जाय, जो बाकी रुपया है वह फरीदाबाद में ही खत्म न हो जाये। अभी मैं देखता हूं कि यह तो कुल २३,००० की पापुलेशन है, लाजपतनगर में ६०, ६१ हजार की पापुलेशन है। मुझे पता नहीं है कि उस का कारपोरेशन वगैरह आप बनायेंगे या नहीं। यहां आप कदम उठा रहे हैं तो आप उस को, बना ही लेंगे, और यह खुशी की बात होगी लेकिन जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट का कदम इस तरफ और तेजी से बढ़े। आज गवर्नमेंट खुद तसलीम करती है कि प्राब्लेम अभी साल्व (हल) नहीं हुई है। मैं नहीं कह सकता कि जो साढ़े तीन करोड़ रुपया दिया गया, और २८ लाख रुपया जो पिछले चार पांच वर्षों से दिया जाता रहा, उस का इस्तेमाल कैसे हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इस की रिपोर्ट कोई तसल्लीबख्श नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्या बात हुई कि इतनी बुरी हालत रही। जब यहां पर उतना खर्च हुआ जितना और जगहों पर नहीं हुआ, तो फिर ऐसी हालत क्यों रहीं, इस बात का पता चले तो अच्छा है।

दूसरी बात यह कही गई कि यह बिल जो है वह इंडस्ट्री उद्योग और बिजिनेस (कारबार) को बढ़ावा देने के लिये है। यह खुशी की बात है कि यह चीज बिजिनेस और इंडस्ट्री के और काम के लिये है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ख्याल यह हुआ कि जरा और अहतियात कर के इस रुपये को ढंग से खर्च किया जाय। ऐसा न हो कि कई बरस लगा कर ठेकेदारों और दूसरे आदमियों पर ही सारा रुपया खर्च कर दिया जाय। अगर आप सब्सिडी (अर्थ सहायता) देते हैं तो उस के अन्दर आप गवर्नमेंट के और रिफ्यूजीज के फर्दर एक्स-प्लायटेशन (और अधिक शोषण) का सिलसिला न बनाइये। यह बात मैं खास तौर से कहना चाहता हूं क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट बदनाम जरूर हो जाती है, और हो रही है कि इस तरह के कामों में आज उस का लाखों करोड़ों रुपया जहां जाना चाहिये वहां नहीं जाता है और जगह चला जाता है। इस वास्ते जब आप उन का काम शुरू करने लगे हैं तो यह एहतियात कीजिये कि बाहर से कैपिटलिस्ट्स (पुंजीपतियों) का इम्पोर्टेशन (आयात) न किया जाय।

मैं यह भी कहूंगा कि बाहर से रिफ्यूजीज को इम्पोर्ट कर के यहां पर न लाया जाय और खास तौर से ऐसे रिफ्यूजीज को न लाया जाय जो कैपिटलिस्ट्स हों। मैं यह भी चाहता हूं कि यहां पर जो रुपया खर्च किया जाय वह इस तरह से खर्च किया जाय कि गरीबों के मुंह में जाय और ऐसे लोगों के मुंह में जाये जिन का मसला अभी हल नहीं हुआ है। जब ऐसे लोगों के मुंह में रुपया जायेगा तभी इस सारी स्कीम से कुछ फायदा होगा।

इस बिल में यह देख कर मुझे खुशी हुई कि मकान इत्यादि बनाने के लिये भी प्रावीजन (उपबन्ध) रखा गया है। इस में कहा गया है कि या तो गवर्नमेंट मकान बनवा कर देगी और अगर रिफ्यूजीज चाहेंगे तो उन को मकान बनाने के लिये रुपया उधार भी दिया जा सकेगा। यह बहुत अच्छी चीज है जो आप करने जा रहे हैं; आज जहां पर लोगों को रोटी नहीं मिल रही है वहां उन को रहने के लिये मकान भी नहीं मिल रहे हैं। तो मकान तो आप बना देंगे ही और उन के बनवाने पर पांच हजार या सात हजार या दस हजार रुपया भी खर्च कर देंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात का ध्यान रखें। आप उन को यह न कहें कि यह सारा रुपया

तीन इंस्टालमेंट्स (किश्तों) में पे (अदा) कर दें। अगर आप ने ऐसा किया तो आप उन को रिहैबिलिटेट करने के साथ ही डिरिहैबिलिटेट भी कर देंगे। इस चीज का जल्दी से फैसला हो जाना चाहिये कि उन को यह रुपया कितनी इंस्टालमेंट्स में वापिस करना होगा नहीं तो यह तलवार हमेशा उन के गले पर लटकती रहेगी। अगर आप ने उन से कहा कि वे तीन इंस्टालमेंट्स में रुपया वापिस करें तो यह एक नामुमकिन बात होगी। ऐसा कर के आप नेकी करने के साथ साथ उन की बरबादी का कारण भी बनेंगे और उस नेकी को खत्म करने का कारण बनेंगे। यह किस तरह से मुमकिन है कि वे इतना ज्यादा रुपया तीन इंस्टालमेंट्स में पे कर दें। दूसरी जगहों पर तो आप कहते हैं कि जो कोई रुपया मकान बनाने के लिये उधार लेगा उस को उसे २५ या ३० बरस में वापिस करना होगा लेकिन अगर आप यहां पर यह कहेंगे कि तीन बरस में ही वापिस कर दो तो यह कहां तक मुनासिब होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। जल्दी रुपया वापिस लेने के हक में आप दलील यह देंगे कि हमारे पास रुपये की कमी है और इस वक्त हमारे पास रुपया नहीं है। आप और जगहों पर तो लाखों और करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं लेकिन जब डिस्प्लेस्ड परसन्स की बात होती है तो आप यही कहते हैं कि हमारे पास इतना रुपया नहीं है। क्या आप के पास इस काम के लिये ४० या ५० करोड़ रुपया भी नहीं है ? आप इस रुपये को उन्हें दान नहीं दे रहे हैं। यह रुपया आप के पास वापिस आ जायेगा। क्या आप इस अर्से को एक्सटैंड (बढ़ाना) नहीं कर सकते हैं। आप चाहे यहां के मिनिस्टर हों या डिप्टी मिनिस्टर या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हों या मिनिस्टर, इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से किसी एक रिफ्यूजी के लिये यह मुमकिन हो सकता है कि वह तीन इंस्टालमेंट्स में रुपया वापिस करे। एक बार उन के पिंजरे में डाल कर, जाल में डाल कर, अगर आप ने उन को उखाड़ा तो यह उन की मौत का ही बायस (कारण) होगा। इस बिल के अन्दर यह तो नहीं लिखा हुआ है कि कितनी इंस्टालमेंट्स में रुपया वापिस लिया जायगा लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्रावीजन का नाजायज फायदा न उठाया जाय। इस वास्ते आप इस रुपये को इतनी इंस्टालमेंट्स में वसूल करें जिन में कि वे उसे आसानी से अदा कर सकें। एक हाथ से नेकी कर के आप दूसरे हाथ से बदी न करें। जब वे लोग इस तरह की कोई मांग करते हैं तो जो पापुलर वायस (जनता की आवाज) होती है वह उन के साथ होती है। आप की तरफ से यह कहा जाता है कि हमारी मजबूरियां हैं। पब्लिक आप की मजबूरियों को नहीं समझ सकती है। आप अरबों की स्कीमें बनाते हैं। कई फाइव यीर प्लान बनाते हैं और उन पर अरबों रुपया खर्च करते हैं तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि आप थोड़ा सा रुपया इन लोगों पर भी खर्च करें जो कि आप को वापिस मिल जाना है। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिये लोग भूख हड़तालें करते हैं जिसे मैं बिल्कुल फिजूल समझता हूं। लेकिन आप को भी वही करना चाहिये जो जायज हो। अब जब हाउसिंग का प्रावीजन इस बिल में किया जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप देखें कि उन पर किसी किस्म की ऐसी मुसीबत न आये जैसे कि दूसरों पर आ रही है। मुझे इतना ही कहना था। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि एक तो आप जो रुपया इंडस्ट्रीज खोलने पर खर्च करें वह ठीक तरह से खर्च करें, दूसरे बाहर से रिफ्यूजीज को इम्पोर्ट न करें और खास तौर से कैपिटलिस्ट रिफ्यूजीज को, तीसरे ऐसा इंतजाम करें जिस से कि यह रुपया गरीबों के मुंह में जाये, चौथे जो इंस्टालमेंट्स हैं, जिन के बारे में मैं ने अभी जिक्र किया है,

[लाला अचिंत राम]

उन को कृपा कर के आप कई सालों तक फैलायें ।

मैं समझता हूं कि यह बहुत ही मुफीद बिल है और इसे पास हो जाना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब चैयरमैन साहब, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बिल को लाने के लिये मुबारिकबाद देता हूं । असल बात यह है कि जिस वक्त फरीदाबाद टाउनशिप बनाने का फैसला किया गया तो बहुत से लोग जो एन० डब्ल्यू० एफ० पी० से आये और जिन को वहां बसाने का ख्याल किया गया था, तो वहां पर बसने वालों ने भी इस को काफी पसन्द किया । लेकिन थोड़े ही अर्से बाद जब वहां पर काम शुरू होने लगा तो यह महसूस किया गया कि जहां पहले से ही शहर मौजूद हैं उन के पास रिफ्यूजीज बस्तियां बनाना और वहां पर इन लोगों को काम देना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इस के कि नये सिरे से आप नई बस्तियां बनाना शुरू कर दें और वहां पर पहले लोगों को बसायें और फिर काम देने की कोशिश करें । यह जो एक्सपैरीमेंट (प्रयोग) था यह एक खतरनाक ऐक्सपैरीमेंट था और हमें पता नहीं था कि इस के नताइज क्या निकलेंगे । मैं आप को बताना चाहता हूं कि करनाल के पास एक जगह है जिस को नीलोखेरी कहते हैं । वहां पर एक और तजुर्बा किया गया है । वहां पर एक नई बस्ती बसाने की कोशिश की गई और वहां पर भी बेशुमार रुपया खर्च किया गया । मैं समझता हूं करीब करीब एक करोड़ रुपया से भी अधिक खर्च किया गया था । वहां पर जो नताइज (परिणाम) निकले वे ऐसे नहीं थे जिन के बारे में यह कहा जा सके कि जितना रुपया खर्च किया गया है उसका बैस्ट इनवैस्टमैंट (उत्तम विनियोजन) हुआ है ।

दरअसल जब यह मसला पैदा हुआ और जब वहां रिफ्यूजी आये तो जैसे कि बाकी दुनिया इस बारे में नातजुर्बेकार है वैसे ही हमारी गवर्नमेंट भी नातजुर्बेकार थी और जैसे जैसे मुसीबत आती गई वैसे वैसे जो इलाज सूझता गया उस को अम्ल में लाती गई। जब कोई नया काम किया जाता है तो यह कुदरती बात है कि उस के नताइज हर सूरत में तसल्लीबख्श नहीं हो सकते । मुझे याद है वह दिन जब हम फरीदाबाद यह देखने के लिये गये थे कि किस तरह से वहां पर काम शुरू किया जाय । उस वक्त वहां मकान बनने शुरू नहीं हुए थे । और जब मकान बनने शुरू हुए तो इस काम को वहां के जो रिफ्यूजी थे उन्हों ने अपने जिम्मे ले लिया और बड़ी ईमानदारी, बड़ी मेहनत और बड़ी दिलचस्पी के साथ इस को किया । सच तो यह है कि उन बहादुर लोगों को ईमानदारी और पैट्रियोटिज्म (देशभक्ति) के जजबे (भावना) से प्रोत्साहित हो कर काम करते देख कर हर एक आदमी को खुशी हासिल हुई होगी । लोगों ने हजारों की तादाद में मकान बना डाले और इस को ऐसा शहर बना डाला कि एक आदमी जो मथुरा से दिल्ली आता है सड़क के पास इन सफेद सफेद मकानों को देख कर ऐसा महसूस करने लग जाता है कि वह कोई एजलिक ड्रीम (दिव्य स्वप्न) देख रहा है । यह एक बहुत ही अच्छी बात थी कि इन मकानों को उन्हीं लोगों के हाथ से बनवाया गया और उन्हीं को इन के बनाने की मजदूरी दी गई ।

इस के फौरन बाद ही यह सवाल पैदा हुआ कि अब जब मकान बन चुके हैं तो इन लोगों को रोजी कहां से मिलेगी । उस वक्त मिनिस्टर साहब ने एक हाई पावर्ड (उच्च शक्ति सम्पन्न) कमिटी बनाई जिस का मैम्बर मैं भी था और जिस के प्रेजीडेंट श्री गोपालस्वामी साहब थे । उस कमेटी के अन्दर जब रोजी देने का सवाल उठा तो मैं ने कहा कि नीलोखेड़ी के अन्दर आप ने हर एक फैमिली पर कोई ५,००० रुपया खर्च किया है तो क्या आप इतना पया

इन लोगों पर भी खर्च करने के लिये तैयार हैं और इस तरह से इन को काम देने के लिये तैयार हैं? इस के बाद बहुत सी तजवीजें पेश की गई हैं और एक सब्जबाग दिखलाया गया और कहा गया कि यहां पर बहुत सी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, बाटा भी यहां अपनी फैक्ट्री लगायेगा और जमीन की इतनी मांग है कि यह पूरी नहीं हो सकती । खैर बाटा ने तो वहां काम शुरू कर दिया है । तो कहा यह गया कि इतना काम होगा कि लोगों में जो अनएम्पलायमेंट है वह खत्म हो जायगी । इस के थोड़े ही देर बाद जब मकान बन चुके तो यह साफ हो गया कि वे लोग बड़ी तादाद में अनएम्प्लायड (बेरोजगार) हैं । उस वक्त वे लोग बड़े दुखी हुए । पहले वे बहुत खुश थे कि हमारे मकान बने हैं । हम भी इस पर बड़े खुश थे । लेकिन बाद में हालत बिल्कुल बदल गई । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इस हाउस में उस इलाके का इलैक्टिड (चुना हुआ) मेम्बर हूं । उन्हों ने मेरे घर पर आ कर धरना दे दिया और भूख हड़ताल कर दी । मेरी जान को मुसीबत आ गई ।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : भूख हड़ताल उन्हों ने की ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां । मैं ने नहीं की । जो लोग अनएम्प्लायड थे, जिन को काम नहीं मिलता था, उन्हों ने मजबूर हो कर भूख हड़ताल की । सब से पहले वे मिनिस्टर साहब के पास पहुंचे । मैं ने उन को वहां जाने को डायरेक्ट कर दिया था कि वहां पर जा कर भूख हड़ताल करो ।

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): पुराने मिनिस्टर ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां, पुराने मिनिस्टर, आप नहीं । आप को तो मैं ने मुबारकबाद दी है कि आप ने यह बिल यहां पर पेश किया है । आखिर कोई रिलीविंग फीचर (सहायता पहुंचाने वाली बात) तो होनी चाहिये ।

मैं ने उन को कहा कि आप पंडित कुंजरू के पास जाइये जो कि डेवलपमेंट बोर्ड के प्रेजीडेंट हैं या श्री अजीत प्रसाद जैन के पास जाइये और वहां उन के मकान पर भूख हड़ताल कीजिये ।

श्री डी० चं० शर्मा (होशियारपुर) : क्या आप ने कहा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस के अलावा मेरे पास और क्या चारा था ? मैं उन के लिये क्या कर सकता था । मैं ने कुंजरू साहब और श्री अजित प्रसाद जैन से इस सिलसिले में बीसियों दफा कहा ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : क्या मेम्बर्ज भी इस तरह भूख हड़ताल करवाते हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां, भूख हड़ताल करने के कई तरीके हैं । कई दफा मिनिस्टर साहब खुद लोगों को बुला लेते हैं कि मेरे मकान पर भूख हड़ताल करो । कई लोग खुद वहां पर भूख हड़ताल करने चले जाते हैं । और कई बार मेम्बर्ज लोगों को भेज देते हैं ।

शिमला से फरीदाबाद एक प्रिंटिंग प्रैस लाने की स्कीम थी । वह तो खैर अब पूरी हो गई । इस के अलावा एक भैंसों की स्कीम थी । यहां पर एक कांफ्रेंस कर के यह स्कीम बनाई गई थी । हम ने बैस्ट आदमी वहां भेजें । आप ने कोआपरेटिव की जिस स्कीम का जिक्र किया है, मुझे यह कहने में बड़ा अफसोस होता है कि उस पर लगाया गया सब रुपया बरबाद हो गया और वह स्कीम नाकामयाब हो गई । उस रुपये का बरबाद होने का मुझे फिक्र या अफसोस नहीं है । मुझे इस बात का फिक्र है कि अगर इस देश में कोआपरेशन (सहकारिता) की मूवमेंट (आंदोलन) नाकाम हो गई, तो फिर यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती है, जो हम को उम्मीद दिला सके । मैं ने अभी लाला अचिंत राम की तकरीर सुनी है । वह कहते हैं कि किसी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बहुत बड़े मालदार आदमी को बुला कर उस के हाथ में सारी इंडस्ट्री दे कर उन लोगों को महज मजदूर न बना दिया जाय— कहीं ऐसा न हो कि उन को कुछ हासिल न हो और क्रीम कोई और ले जाय, सारा फायदा कोई दूसरा उठा जाय। जब तक कोई कैपिटिलिस्ट अपना मुनाफा न देखेगा, वह यहां आयगा नहीं। यह जाहिर है कि आप को टैम्पटिंग टर्म्ज (आकर्षक शर्तें) पेश करनी होंगी। इस सिलसिले में मेरी तजवीज यह है कि—और वह सारे देश में एक मुसलमा (मानी हुई) तजवीज है—आप को कोआपरेटिव बेसिस पर इंडस्ट्रीज शुरू करनी चाहियें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उन लोगों का भी फायदा होगा, जिन का कि आप फायदा करना चाहते हैं और आप का काम भी बड़ा आसान हो जायेगा। वह एक निहायत बेहतर काम होगा।

जब कोआपरेटिव स्कीम भी फेल हो गई, तो कई तरह की कोशिशें हुईं। मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं। आखिर गवर्नमेंट के पास कोई "खुल समसम" नहीं है उस के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वह हुक्म दे और कोई फौरन उस काम को कर दे। गवर्नमेंट को बड़े काम करने पड़ते हैं। उस के पास जितने रिसोर्सिज (साधन) हों, उन्हीं के मुताबिक उस को काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट की लारियां वहां से चलती थीं और उन भाइयों को यहां लाती थीं और वे यहां पर मजदूरी करते थे। दिल्ली वाले कहते थे कि ये लोग हमारा हक्क छीन रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने कोई कम्युनिटी बनाई, कोई डेवेलेपमेंट बोर्ड बनाया, तो उस के काम की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर होती है, उस की देखभाल करना गवर्नमेंट का फर्ज हो जाता है। अगर कोई मेरी राय पूछता, तो मैं कभी भी यह न मानता किकोई ऐसी स्कीम बनाई जाये, जिस से इतना खर्चा करना पड़। साढ़े तीन करोड़ रुपये कैपिटल रखा गया और अठाइस लाख रुपये कई साल तक देने होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वह भी काफी नहीं होगा। जिन आदमियों को आप ने बसाया है जब तक उन को काम नहीं मिलेगा, तब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी। मैं उन लोगों को बखूबी जानता हूं। वे अव्वल दर्जे के हासपिटेबल (मेहमाननवाज) और पेट्रियाटिक आदमी हैं। वे खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम लेते हैं, उन के आदर्शों पर चलते हैं और उन के लिये मरने को तैयार हैं। वहां जा कर आदमी ऊंचा हो जाता है। वे बड़े बहादुर, बड़े अच्छे लोग हैं। उन के लिये आप जितन: रुपया खर्च कर सकें वह आप को करना चाहिये। लेकिन लाला अचिंत राम की आर्ग्यूमेंट (तर्क) का जवाब क्या है? आप इन तेईस हजार आदमियों पर साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च करते हैं और एक करोड़ सैंतीस लाख रुपये अभी और खर्च करेंगे। मुझे यकीन है कि वह काफी नहीं होगा। आप ने यह ठीक कहा कि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का फर्ज है और वह और खर्च करेगी। यह उम्मीद आप ने हम को दिलाई है और वह बात फरीदाबाद तक भी पहुंच जायेगी। मगर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप कांस्टीट्यूशन की दफा १४ की रू से हर एक आदमी पर इसी हिसाब से रुपया खर्च करें, तो अगर आप के पास खरबों रुपये भी होंगे, तो भी वे काफी नहीं होंगे। आप इतना रुपया खर्च नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त यह सवाल नहीं है कि हम ने गलती है कि नहीं। फरीदाबाद तो बन गया और आज वह हिन्दुस्तान की शान है। आज वहां पर एन० डब्ल्यू० एफ० पी० के लोगों की एकभारी आबादी है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं है कि आप उन को रहने के लिये मकान तो बना दें, लेकिन उन को एम्प्लायमेंट (रोजगार) न दें, उन को कोई काम मुहैया न करें। दिल्ली में क्या सूरत थी? दिल्ली में पंजाब के लोगों को गेनफुल एम्प्लायमेंट तो फौरन मिल गई। लेकिन उन को

रहने के लिये मकान नहीं मिल पाये। इस वक्त उन का जो झगड़ा चल रहा है और इंस्टालमेंट्स वगैरह का जो मामला है, इस वक्त मैं उन का जिक्र नहीं करूंगा। उन के मुताल्लिक कुछ अर्ज करने के लिये और मौके मिलेंगे। इस वक्त मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने क्लेम किया है कि ट्रेडिंग कारपोरेशन (व्यापार निगम) बनाई जायेगी, जो कि ट्रेडिंग का काम करेगी, लेकिन बेसिक आइडिया (मूल विचार) यह है कि यह रिहैबिलिटेशन कारपोरेशन है। आप का मेन (मुख्य) काम यह है कि आप उन लोगों को आरामो-आसायश मुहैया करें। जितना रुपया आप गलती से खर्च कर चुके हैं, उस को हम वापिस नहीं ला सकते हैं। हम नीलोखेड़ी को वापिस नहीं ला सकते हैं। जो हो गया, सो हो गया। अब हमें आगे की बात देखनी है। अब इस को अच्छे से अच्छा बनाना हमारा फर्ज है। और वह कैसे बना सकते हैं? अगर आप महसूस करते हैं कि आप को और रुपया खर्च करने की जरूरत है तो आप के सारे रिसोर्सिज, प्लैनिंग की सारी मशीनरी, सारे एक्स्पर्टस् (विशेषज्ञ) इस काम के पीछे लग जायें, तो शायद मुमकिन है कि यह काम हमारे काबू में आये लेकिन मुझे दिखाई देता है कि जिस तरह से हम ने पहले काम किया है—बगैर सोचे समझे काम कर के चौबीस लाख रुपया जाया कर दिया है, मकान बनाने पर इतना लैविशली (मुक्त हस्त से) खर्च कर डाला है—उस तरह से हमारा काम नहीं चल सकता है।

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

14·28 hrs.

गवर्नमेंट को इस सिलसिले में बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए। मुझे वह दिन याद है जब कि मिस्टर सुधीर घोष ने हम को नक्शा दिखाया और बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए कि इन लोगों को काम मिलेगा। मैंने श्री गोपालास्वामी को कहा था कि इन को काम नहीं मिलेगा। इनमें से कम से कम पांच हजार लोगों को मेसन (राज) बना दिया जाय, तो वे दो तीन रुपया से पांच रुपया रोज तक कमा लेंगे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि फरीदाबाद डेवेलपमेंट कार्पोरेशन की जिम्मेदारी इस हाऊस ने ली है। अगर उसे मन्जूर है, तो वह इस का ख्याल रखे। गवर्नमेंट ने इस के लिए काफी प्राविजन किया है गवर्नमट आफ इंडिया का उस पर कंट्रोल रहेगा। रिपोर्ट और बजट उस के पास आयगा। पिछली दफा बावजूद गवर्नमेंट के देखने के इतना रुपया जाया ही गया। मैं इस बात की गारन्टी चाहता हूं कि आईन्दा इस तरह रुपया जाया नहीं होगा और उस की गारन्टी है गवर्नमेंट आफ इंडिया का वर्ड (वचन)। गवर्नमेंट आफ इंडिया रुपया खर्च कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और है। वे लोग डरते हैं। अगर इस को पंजाब गवर्नमेंट के हाथ में दिया होता तो वह कभी इतना रुपया खर्च न कर सकती। डेवेलपमेंट बोर्ड के मुताल्लिक हमारे पास रोज शिकायतें आती थीं। आठ नौ वर्ष के पुराने नौकरों को यक-क़लम (एक दम) बरखास्त किया जाता था। उन के मुताल्लिक एक मोटी फाइल बन गई थी। उससे मालूम होता था कि हालत क्या है, कितने लोगों के साथ सख्तियां की गईं, जो कि गवनमेंट सर्विस में कभी नहीं हो सकती थीं। अब आप पर वे सब पाबन्दियां आयद (लागू) होंगी, जो कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पर आयद होती हैं। अब उस तरह की सख्ती नहीं हो सकेगी। अब उन को यक-कलम नहीं हटाया जा सकेगा। हम ने देखा है कि दस दस वर्ष पुराने नौकर रोते फिरते हैं। इस कार्पोरेशन बनाने का मतलब यह है कि गवनमेंट पर उन सब आदमियों की जिम्मेदारी होगी। वे बारह सौ आदमी आप की लायबिलिटी (दायिता) है क्योंकि १२००कों ही काम मिला है। वहां पर कारखाने बहुत थोड़े हैं। छोटे छोटे कारखाने हैं। ये दस इंडस्ट्रीज भी बहुत छोटी छोटी हैं। लेकिन वहां के लोग बड़े रिसोर्सफुल (प्रतिभाशाली) हैं। वे तो काम करना चाहते हैं। एक साहब आए हुए हैं—वह फ़ारेनर (विदेशी) हैं

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हैं—और उन्होंने एक कारखाना बनाया हुआ है। वह रोज कहते हैं कि यह काम शुरू किया जाय, मैं अपनी लाइफ़ (जीवन) इस में दे दूंगा।

मैं आपको उनकी सारी स्कीम भेज दूंगा।

Mr. Deputy-Speaker: Is the hon. Member going to conclude or is he likely to take some more time? We have to take up non-official business now.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जो कुछ मुझे अर्ज करना था वह किसी हद तक तो मैंने अर्ज कर दिया है। अगर जनाब की इजाजत हो तो दस पांच मिनट और अभी ले लूं या आयन्दा ले लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर ही सही।

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTY-THIRD REPORT

Shri Altekar (North Satara): Mr. Deputy-Speaker, with your permission, I beg to move:

"That this House agrees with the sixty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 21st November, 1956."

This report is in connection with the classification of six bills and the time that has to be allotted to them. From Appendix I of the report it will be found that they have all been classified under 'B' category, having considered all the aspects of those Bills; and the time allotted to them is stated in Appendix II. I commend that this House agrees with this report.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the sixty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 21st November, 1956."

The motion was adopted.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(AMENDMENT OF ARTICLE 107)

Shri Raghunath Singh (Banaras Distt.—Central): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

Shri Raghunath Singh: Sir, I introduce the Bill.

INDIAN DIVORCE (AMENDMENT) BILL**

(AMENDMENT OF SECTION 3 ETC.)

Shrimati Maydeo (Poona—South): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Divorce Act, 1869.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Divorce Act, 1869".

The motion was adopted.

Shrimati Maydeo: Sir, I introduce the Bill.

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 2, dated 23-11-1956, pp. 993-94.

**Published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 2, dated 23-11-56, pp. 995—98.